भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1866
बुधवार, 04 अगस्त, 2021/13 श्रावण, 1943 (शक)

'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना'

1866. श्री प्रशांत नन्दाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना'द्वारा कितनी नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य है;
(ख) योजना के अंतर्गत कुल कितनी नौकरियां सृजित की गई;
(ग) क्या नौकरियों की संख्या से संबधित लक्ष्य पूरा करने के लिए, यदि यह निर्धारित लक्ष्य से कम है, कोई उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तोज इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) द्वारा अनुमानतः 71.80 लाख लाभार्थियों को लाभ देने का इरादा है।

(ख): इस योजना के तहत 26.07.2021 को 91,129 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 25.57 लाख कर्मचारियों को 1193.18 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

(ग) एवं (घ): नियोक्ता और नियोक्ता संघों तथा कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों-दोनों के साथ सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई है। ईपीएफओ भी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस योजना का प्रचार कर रहा है। इसके अलावा, कवरेज बढ़ाने के लिए, लाभार्थियों का पंजीकरण, जो कि आरंभ में केवल 30.06.2021 तक था, को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

*****